वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 155/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-29.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 29.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है।

01.थाना निजामाबाद: किशोरी के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 20.04.25 को वादी की नाबालिक पुत्री को अभियुक्त बादल पुत्र किताबु निवासी ग्राम बढ़नपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 136/25 धारा 140(3),351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करायागया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/115(2) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

2.गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 29.04.25 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बादल पुत्र किताबू निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को सोफीपुर डेरा के पास से समय करीब 09.15 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना निजामाबाद: दुष्कर्म के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 28.04.25 को वादीनी/पीडिता ने थाना निजामाबाद पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1.वीरेंद्र कुमार यादव 2. जितेन्द्र यादव पुत्रगण गोविन्द यादव ग्रा- रेवरा परवेजपुर थाना निज़ामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा जमीन दिलाने के लिये पैसा ले लिया जाना मांगने पर उसके साथ छल कपट कर दुष्कर्म किया गया तथा मारपीट तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 149/25 धारा 115(2),351(3),64(1),316(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करायागया।

गिरफ्तारी का विवरण–

आज दिनांक 29.04.25 को उ0नि0 चन्द्रजीत यादव यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र यादव पुत्र गोविन्द यादव निवासी रेवरापरवेजपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को गौसपुर तिराहे के पास से समय करीब 12.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना मुबारकपुरः साइबर फ्रॉड के छः पीड़ितो के खातें मे कुल 2,33,980/- रूपया वापस कराया गया

पूर्व की घटनाः-

भिन्न भिन्न साइबर फ्रॉड के माध्यम से पीड़ितों के खाते मे से फ्राड हुए रूपयों के सम्बन्ध मे एनसीआरपी पोर्टल/हेल्पलाइन न0 1930 के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विधिक कार्यवाही करते हुए छः आवेदकों के खातों मे कुल 2,33,980/- रूपये की बरामदगी की गयी।

रूपया वापसी का विवरणः-

साइबर अपराध के रोकथाम के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नंदन कुमार के निर्देशन में थाना मुबारकपुर के साइबर डेस्क पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर मेहताब आलम एवं महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा द्वारा एनसीआरपी पोर्टल/हेल्पलाइन न0 1930 के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर पर विधिक कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड के कुल 2,33,980/- रूपये वापस कराये गये। पीड़ितों का विवरण निम्नवत हैः-

1. आवेदक शिवम सोनकर पुत्र कैलाश सोनकर निवासी पुरासोफी थाना मुबारकपुर आजमगढ के खाते मे साइबर फ्राड का 15,520/- रूपया वापस कराया गया।
2. आवेदक मोहम्मद दीन पुत्र मो0 जर्रार निवासी ग्राम नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के खाते मे साइबर फ्राड का कुल 52,467/- रूपया वापस कराया गया।
3. आवेदक इकरार हुसैन पुत्र स्व0 अबरार हुसैन निवासी शाहमोहम्मदपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के खाते मे साइबर फ्रॉड का कुल 9,850/- रूपया वापस कराया गया।
4. आवेदक आसिफ कमाल पुत्र जावेद अख्तर निवासी ग्राम इस्लामपुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ के खाते मे साइबर फ्रॉड का कुल 16,143/- रूपया वापस कराया गया।
5. आवेदक एहसान अहमद पुत्र इश्तियाक अहमद निवासी पुरासोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के खाते मे साइबर फ्राड का कुल 80,000/- रूपया वापस कराया गया।
6. आवेदक शमशेर अली निवासी पुरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को साइबर फ्रॉड का कुल 60,000/- रूपया वापस कराया गया।

पुलिस टीमः-

उ0नि0 आशुतोष मौर्य थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए मेहताब आलम थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ
महिला आरक्षी दीक्षा मिश्रा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

प्रेस नोट

एसपी ट्रैफिक द्वारा किया गया एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित कार्याशाला

आज दिनांक 29.04.2025 को समय 12.30 बजे जनपद आजमगढ़ पुलिस लाईन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी द्वारा ड्रग डिस्पोजल में धारा-52ए की कार्यवाही, व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की 03 पीडीएफ फाइल क्रमशः पीडीएफ 1-अनिवार्य दिशा- निर्देश, पीडीएफ-2 निर्देशिका चेकलिस्ट पीडीएफ, 3-पुलिस अधिकारियों के भिन्न अन्य राजपत्रित अधिकारियों की सूची एवं उनके मो0नं0 पीडीएफ फाइल में उपलब्ध कराकर आवष्यक कार्यवाही हेतु अपने विवेचकों तथा पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों को उनके मोबाइल फोन में रेडी रैकनर(गणक) के रूप में रखने हेतु आदेशित किया गया जिसकी पुलिस उपाधीक्षक/प्रशासनिक मजिस्ट्रेट से उपर पंक्ति के सभी अधिकारी, जांच/विवेचनाधिकारी की आकास्मिक जांच कर सकते है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985(एनडीपीएस एक्ट 1985) के अन्तर्गत की जाने वाली बरामदगी/गिरफ्तारी/विवेचना में गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु एनडीपीएस एक्ट 1985 के अधिनियम के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत दिशा-निर्देश व से सम्बन्धित प्राप्त निर्देशों के सम्बन्ध में अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यशाला का आयोजन कर आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया।